न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 60/2022 पुराना न0 278/2018

अनवान : –

1. हरलाल पुत्र काशीराम जाति स्वामी निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर
2. मनीराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर।
3. करतारसिंह पुत्र पालसिंह जाति जटसिख निवासी ब्राहमणवासी–फौत
   3–क भूराराम पुत्र करतार सिंह –फौत 3/1. कमला पत्नी भूराराम 3/2. काली पुत्री भूराराम (किनर) 3/3. कान्ता पुत्री भूराराम 3/4. रतन पुत्र भूराराम 3/ख. लाधुराम पुत्र करतारसिंह 3/ग. बादे देवी पत्नी मुखराम चाहर पुत्री करतारसिंह 3/घ. मुन्शीराम पुत्र करतार सिंह 3/ड़ किडुराम पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासीगण ब्राहमणवासी तहसील नोहर

   3/च. अमरजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह पुत्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

   3/छ. हरजिद्र कौर पत्नी धर्मसिंह पुत्री करतारसिंह जाति जटसिख निवासी रतरोड़ी तहसील फरीदकोट

   3/ज. अमरजीत कौर पुत्री करतारसिंह जाति जटसिख निवासी कोटली गोनियाना पंजाब।

   3/ट. गुडी देवी पुत्री करतार सिंह –फौत
   3/ट/1. पितो 3/ट/2. पप्पु 3/ट/3. कान्ता 3/ट/4. चौथा 3/ट/5. श्यामा 3/ट/6. भजली 3/ट/7. रामरतन पुत्र व पुत्रीयान गुडी पत्नी निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी चक देईदास पुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. पंजाब नेशनल बैक शाखा नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 15/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 24.11.2021 के द्वारा इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई की राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियमों के नियम 18 ता 21 की पालना करते हुए उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। उभयपक्षों को तलब किया गया। वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 5 की 8.2830 हैक्ट भूमि जिसमें वादी का 23/251 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 33361 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 का 1742/41445 हिस्सा मृतक करतारसिंह का 184/753 हिस्सा दर्ज है एवं मृतक करतारसिंह के वारिसान को पक्षकार संयोजित किया गया है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के विषय में भी इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:54:40 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा कि विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी स0 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के ख0न0 126 की भूमि का हमारे पूर्वजों केक समय से ही बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके उत्तरी हिस्सा की भूमि अमीलाल को प्राप्त हुई तथा मिन दक्षिण की भूमि मनीराम को प्राप्त हुई है। उक्त भूमि जो की वादी की अमीलाल से खरीद की हुई है उसी भूमि में वादी को साथ रखा जावे तथा मिन दक्षिण की भूमि बाहमी बंटवारा में नन्दराम को प्राप्त हुई जिसमें से प्रतिवादी स0 3 करतार सिंह ने 8 बीघा भूमि खरीद की थी तथा इसी अनुसार इनके नाम दर्ज है तथा शेष भूमि मनीराम वादी स0 2 को प्राप्त हुई जिस पर प्रतिवादी स0 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। साक्ष्य में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा शपथ पत्र पेश किये जिन पर जिरह सुनी गई। गवाहों के बयान करवाये गये। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 5 की 8.2830 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. हरलाल पुत्र काशीराम हिस्सा – 23/251 (0.7590 हेक्टेयर) जाति– स्वामी सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा – 23/251 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर –खसरा संख्या – 126/1 क्षेत्रफल – 0.7590 हेक्टेयर कुल किता 1
2. मनीराम पुत्र जेठाराम हिस्सा – 17492/44415 (3.4984 हेक्टेयर) जाति–जाट सा. देह खातेदार खसरा संख्या – 126/2 क्षेत्रफल – 3.4984 हेक्टेयर कुल किता 1
3. महेन्द्र कुमार पुत्र अमीलाल हिस्सा – 1668/13805 (1.0008 हेक्टेयर) जाति–जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा – 1668/13805 (पूर्ण खाता) एक्सिस बैंक शाखा नोहर, विद्या पुत्री अमीलाल हिस्सा – 1668/13805 (1.0008 हेक्टेयर) जाति – जाट सा. देह खातेदार खसरा संख्या – 126/3 क्षेत्रफल – 2.0016 कुल किता 1
4. करतार सिंह पुत्र पालसिंह हिस्सा – 184/753 (2.0240 हेक्टेयर) जाति– जट सिख सा. देह खातेदार खसरा संख्या – 126/4 क्षेत्रफल – 2.0240 कुल किता 1

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ......15/01/26...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:54:40 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 60/2022 पुराना न0 278/2018

अनवान : –

1. हरलाल पुत्र काशीराम जाति स्वामी निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर
2. मनीराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर।
3. करतारसिंह पुत्र पालसिंह जाति जटसिख निवासी ब्राहमणवासी–फौत
   3–क भूराराम पुत्र करतार सिंह –फौत 3/1. कमला पत्नी भूराराम 3/2. काली पुत्री भूराराम (किनर) 3/3. कान्ता पुत्री भूराराम 3/4. रतन पुत्र भूराराम 3/ख. लाधुराम पुत्र करतारसिंह 3/ग. बादे देवी पत्नी मुखराम चाहर पुत्री करतारसिंह 3/घ. मुन्शीराम पुत्र करतार सिंह 3/ड़ किडुराम पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासीगण ब्राहमणवासी तहसील नोहर
   3/च. अमरजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह पुत्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
   3/छ. हरजिद्र कौर पत्नी धर्मसिंह पुत्री करतारसिंह जाति जटसिख निवासी रतरोड़ी तहसील फरीदकोट
   3/ज. अमरजीत कौर पुत्री करतारसिंह जाति जटसिख निवासी कोटली गोनियाना पंजाब।
   3/ट. गुडी देवी पुत्री करतार सिंह –फौत
   3/ट/1. पितो 3/ट/2. पप्पु 3/ट/3. कान्ता 3/ट/4. चौथा 3/ट/5. श्यामा 3/ट/6. भजली 3/ट/7. रामरतन पुत्र व पुत्रीयान गुडी पत्नी निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी चक देईदास पुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. पंजाब नेशनल बैक शाखा नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 60 सन 2022 निर्णय दिनांक 15/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 5 की 8.2830 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. हरलाल पुत्र काशीराम हिस्सा – 23/251 (0.7590 हेक्टेयर) जाति– स्वामी सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा – 23/251 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर –खसरा संख्या – 126/1 क्षेत्रफल – 0.7590 हेक्टेयर कुल किता 1
2. मनीराम पुत्र जेठाराम हिस्सा – 17492/44415 (3.4984 हेक्टेयर) जाति–जाट सा. देह खातेदार खसरा संख्या – 126/2 क्षेत्रफल – 3.4984 हेक्टेयर कुल किता 1
3. महेन्द्र कुमार पुत्र अमीलाल हिस्सा – 1668/13805 (1.0008 हेक्टेयर) जाति–जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा – 1668/13805 (पूर्ण खाता) एक्सिस बैंक शाखा नोहर, विद्या पुत्री अमीलाल हिस्सा – 1668/13805 (1.0008 हेक्टेयर) जाति – जाट सा. देह खातेदार खसरा संख्या – 126/3 क्षेत्रफल – 2.0016 कुल किता 1
4. करतार सिंह पुत्र पालसिंह हिस्सा – 184/753 (2.0240 हेक्टेयर) जाति– जट सिख सा. देह खातेदार खसरा संख्या – 126/4 क्षेत्रफल – 2.0240 कुल किता 1

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण कर [illegible] राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभा[illegible] को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान [illegible]

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 15/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:54:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर